न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 36/2026

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गोपालसिह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. विशनसिंह पुत्र खीमसिंह 2. धींगसिंह पुत्र आदमसिंह 3. मानसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री अमराराम चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 1 व 3 स्वयं उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 23.04.2026

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 473/46 रकबा 0.8009 हैक्टेयर मौजा नाकोड़ा, पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा संख्या 479/471 रकबा 0.4773 हैक्टयर, खसरा संख्या 46/6 रकबा 0.8576 हैक्टयर व खसरा संख्या 46/2 रकबा 3.3169 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरों में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी के खसरा नम्बर 479/471,46/6,46/2 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 स्वयं उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 473/46 रकबा 0.8009 हैक्टेयर मौजा नाकोड़ा, पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा संख्या 479/471 रकबा 0.4773 हैक्टयर, खसरा संख्या 46/6 रकबा 0.8576 हैक्टयर व खसरा संख्या 46/2 रकबा 3.3169 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरों में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4. विप्रार्थी सं. 1 व 3 ने स्वयं उपस्थित होकर अपने मौखिक अभिकथनों में आवेदन के तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का होने के साथ ही सड़क मार्ग को जोड़ते हुए उन्हें भी आवागमन की सुगमता की महत्ता को देखते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट रास्ता कटाण किया जाता है तो उनकी ओर से पूर्ण सहमति है।

5.विप्रार्थी संख्या 5 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपने खातेदारी के खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा संख्या 479/471 रकबा 0.4773 हैक्टयर, खसरा संख्या 46/6 रकबा 0.8576

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हैक्टयर व खसरा संख्या 46/2 रकबा 3.3169 हैक्टयर ग्राम नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 574/17.04.2026 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा संख्या 479/471 रकबा 0.4773 हैक्टयर, खसरा संख्या 46/6 रकबा 0.8576 हैक्टयर व खसरा संख्या 553/46 रकबा 1.6548 हैक्टयर ग्राम नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है,इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। ऐसी सूरत में तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी के खेत खसरा संख्या 553/46 रकबा 1.6548 हैक्टयर में लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0720 हैक्टयर, खसरा संख्या 46/6 रकबा 0.8575 हैक्टयर में लम्बाई 35 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0210 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 479/471 रकबा0.4773 हैक्टयर में लम्बाई 34 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0204 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि मौजा पायला खुर्द की डी.एल. सी. दर सिंचित सड़क के पास राशि–355300/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम नाकोड़ा की कुल क्षेत्रफल 0.1134 हैक्टयर की कुल राशि– 81600/– अक्षरे इक्यासी हजार छः सौ रूपयें मात्र विप्रार्थीगण को राशि दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

7.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी के खेत खसरा संख्या 553/46 रकबा 1.6548 हैक्टयर में लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0720 हैक्टयर, खसरा संख्या 46/6 रकबा 0.8575 हैक्टयर में लम्बाई 35 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0210 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 479/471 रकबा0.4773 हैक्टयर में लम्बाई 34 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0204 हैक्टयर भूमि की कुल राशि–81600/– अक्षरे इक्यासी हजार छः सौ रूपयें मात्र का भुगतान करतें हुए मौका रिर्पोट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–81600/– अक्षरे इक्यासी हजार छः सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान विप्रार्थी पक्ष को खसरान वाईज उनके हिस्सेनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./2026/574 दिनांक 17.04.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को लिखा जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी